

अध्याय

8.

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी

- संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का संचालन इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं संचार मंत्रालय करता है।
- इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है- इं गवर्नेंस एवं इलेक्ट्रॉनिकी के सतत विकास को बढ़ावा देना। साथ ही, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों का विस्तार और देश में इंटरनेट गवर्नेंस को प्रोत्साहन देता है।
- वहीं संचार मंत्रालय का काम डाक एवं दूरसंचार विभाग की देखरेख करना है।
- इन विभागों की विशेषताएं, गतिविधियां और इनके द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों के बारे में यहां बताया गया।

डाक

- ⌚ भारत में वर्ष 1766 में सबसे अधिक पसंदीदा आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ लॉर्ड क्लाइव ने किया था और इसे 1774 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने आगे बढ़ाया। डाक नेटवर्क का विस्तार 1786 से 1793 के दौरान हुआ।
- ⌚ वर्ष 1837 के एक अधिनियम के माध्यम से पहली बार डाकघरों को नियमन व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया ताकि तात्कालीन तीन प्रेसिडेंसियों के सभी डाकघरों को अखिल भारतीय सेवा के द्वारा में लाया जा सके।
- ⌚ इसके बाद, 1854 के डाकघर अधिनियम में संशोधन के साथ संपूर्ण डाक व्यवस्था का स्वरूप बदल गया और 1 अक्टूबर, 1854 से भारत के डाकघर वर्तमान प्रशासनिक तरीके से चलाए जाने लगे।
- ⌚ देश में पहला डाक टिकट उसी समय जारी किया गया था जो पूरे देश में मान्य था। डाक टिकटों की दरें कम और समान रखी गई। डाक दर दूरी के हिसाब से न होकर भेजे जाने वाले पत्र अथवा पैकेट के बजन से तय की गई। आम जन पहली बार एक ऐसी सुविधा का उपयोग कर जिसके तहत उन्हें दरवाजे तक पत्र मिलने लगे।
- ⌚ पहले इस तरह की सुविधा केवल राष्ट्राध्यक्षों और सरकारी अधिकारियों को ही मिलती थी। तब से डाक ने देश में सभी के जीवन को व्यवस्था/प्रभावित किया है।
- ⌚ यद्यपि ब्रिटिश शासन ने साप्राञ्ज्यवादी हितों के लिए डाकघरों की स्थापना की, लेकिन डाकघर रेल और टेलीग्राफ के साथ सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण इंजन बन गया।

- ⌚ वर्तमान में पोस्ट ऑफिस एक्ट, 1898 द्वारा भारतीय डाक सेवाओं का नियंत्रण किया जाता है। उनीसवाँ सदी के मध्य में डाकघर डाक बंगलों और डाक सरायों की देखभाल करके यात्रा को भी सुगम और सहज बनाते थे।
- ⌚ मेल ऑर्डर सेवा 1877 में मूल्य देय प्रणाली शुरू होने के साथ आरंभ हुई जबकि 1880 से मनीऑर्डर सेवा के माध्यम से दरवाजे पर धनराशि प्राप्त करना संभव हुआ।
- ⌚ 1882 में डाकघर बचत बैंक प्रारंभ होने के साथ बैंकिंग सुविधा सभी लोगों तक पहुंची और 1884 तक सभी सरकारी कर्मियों को डाक जीवन बीमा के अंतर्गत लाया गया।
- ⌚ डाक संचार सुविधा प्रदान करने के अतिरिक्त डाकघर नेटवर्क 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध से धन का हस्तांतरण, बैंकिंग और बीमा सेवा भी दे रहा है।

वित्तीय सेवाएं

- ⌚ डाक विभाग भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से लघु बचत योजना चलाता है जो इन योजनाओं से संबंधित ढांचागत और नियामकों में फेर-बदल करता है और डाक विभाग को परिश्रमिक भुगतान करता है।
- ⌚ 31 मार्च, 2018 के आंकड़ों के अनुसार डाकघर बचत बैंक (पीओएसबी) में 37.40 करोड़ से अधिक खाताधारक थे। बचत बैंक सुविधा 1.54 लाख डाकघरों के नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की जाती है।
- ⌚ डाकघर बचत बैंक बचत खाते, रिकरिंग डिपॉजिट (आरडी), टाइम डिपॉजिट (टीडी), मासिक आय योजना (एमआईएस), पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ), राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र

- (एनएससी), किसान विकास पत्र (केवीपी), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) और सुकन्या समृद्धि खाता जैसी योजनाएं चलाते हैं।
- ⦿ 31 मार्च, 2018 तक डाकघरों के राष्ट्रीय बचत योजना और बचत सर्टिफिकेट के अंतर्गत 8,03,243 करोड़ रुपये की धनराशि बकाया थी।

कोर बैंकिंग समाधान और एटीएम की स्थापना

- ⦿ कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) भारतीय डाक के सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण का हिस्सा है।
- ⦿ इसका उद्देश्य डाकघरों में आवश्यक सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना के साथ विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी समाधानों को लाना है।
- ⦿ परियोजना का उद्देश्य चालू योजनावधि के दौरान लघु बचत योजनाओं के लिए सभी विभागीय डाकघरों में कोर बैंकिंग समाधान को लागू करना है। परियोजना से 'कहीं भी, कभी भी' बैंकिंग, एटीएम तथा इंटरनेट बैंकिंग सुविधा मिल सकेगी।
- ⦿ 10 अगस्त, 2018 तक 23,557 डाकघरों को सीबीएस परिवर्तित किए गए हैं। देशभर में 995 स्थानों पर एटीएम भी स्थापित किए गए हैं।

म्यूचुअल फंड्स बिक्री

- ⦿ डाकघर देश में पूँजी बाजार की पहुंच को बढ़ाने तथा सामान्य जन को बाजार आधारित निवेश विकल्प उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- ⦿ वर्तमान में 2,000 डाकघरों के माध्यम से यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के विभिन्न म्यूचुअल फंड उत्पादों की रिटेलिंग की जा रही है।

अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण सेवा

- ⦿ अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण सेवा विदेशों से व्यक्तिगत तौर पर भारत में धन भेजने का त्वरित और सहज तरीका है।
- ⦿ वेस्टर्न यूनियन जैसी अत्याधुनिक धन स्थानांतरण वित्तीय सेवाओं के डाकघरों तथा भारत सरकार के साथ सहयोग के माध्यम से 195 देशों से भारत में किसी व्यक्ति को भेजे जाने वाला धन शीघ्र और सहज तरीके से मिल जाता है। वर्तमान में यह सुविधा देश के 9,953 स्थानों पर उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय पेंशन योजना

- ⦿ 2009 में सरकार ने नागरिकों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की शुरुआत की थी जिसे पहले नवीन पेंशन योजना कहा जाता था। डाक विभाग राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए करीबी इकाई है।
- ⦿ भारतीय डाक व्यवस्था आमजन के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना

(एनपीएस) का पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) है।

- ⦿ 18 से 55 वर्ष आयुवर्ग का कोई भी भारतीय नागरिक पेंशन योजना का लाभ ले सकता है और 60 वर्ष की आयु तक योजना में अपना अंशदान कर सकता है।
- ⦿ पेंशन अंशदान का निवेश पेंशन फंड नियामन (पीएफआरडीए) द्वारा भुगतानकर्ता की प्राथमिकता के मुताबिक उसकी पसंद की योजना में किया जाता है।

भारतीय पोस्ट पेमेंट्स बैंक

- ⦿ इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) भारत सरकार का बैंक है जो डाक विभाग के अधीन आता है।
- ⦿ सितंबर, 2018 को पहले चरण में बैंक की 650 शाखाएं और 3250 डाकघरों का इसके अधिगम स्थल के तौर पर उद्घाटन किया गया था।
- ⦿ पहले चरण में दस हजार से अधिक डाकियों को इसके साथ जोड़ा गया। इसका लक्ष्य देश के अधिगम स्थलों के इस्तेमाल करने का है जिससे तीन लाख से ज्यादा डाक सेवा कर्मचारी प्रत्येक घर तक बैंकिंग सेवा दे सकेंगे।
- ⦿ 2015 में डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने और बेहतर बैंकिंग के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने विशेष बैंकिंग नीति की शुरुआत की।
- ⦿ इस बैंक का लाइसेंस इसी वर्ष भारतीय डाक विभाग को दिया गया।
- ⦿ 2016 में इसे पेमेंट्स बैंक के तौर पर भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया।
- ⦿ 2017 में आईपीपीबी की रायपुर और रांची की शाखाएं स्थापित की गईं।
- ⦿ बैंक में बचत खाते, नगद हस्तांतरण और थर्ड पार्टी के जरिए बीमा की सुविधा है। बिल और अन्य जरूरी भुगतान भी इसके जरिए किए जा सकते हैं।
- ⦿ वित्तीय समावेशन की दृष्टि से शुरू किए गए इस बैंक को देश के दूर-दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक बैंकिंग सेवा प्रदान करने के विचार से शुरू किया गया है।

डाक जीवन बीमा और ग्रामीण

डाक जीवन बीमा

डाक जीवन बीमा

- ⦿ डाक जीवन बीमा योजना (पीएलआई) का प्रारंभ 1 फरवरी, 1884 में एक कल्याणकारी योजना के रूप में डाक विभाग के

- कर्मचारियों के लिए हुआ था।
- बाद में 1888 में इसके अंतर्गत टेलिग्राफ विभाग के कर्मचारियों को भी लाया गया था।
 - इसके अंतर्गत, केंद्रीय और राज्य सरकारों के कर्मचारी, केंद्रीय और राज्य सरकारों के प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय, सरकारी सहायता से चलने वाले शैक्षिक संस्थान, राष्ट्रीयकृत बैंक एवं स्थानीय निकाय आदि आते हैं।
 - पीएलआई की बीमा सुविधा के अंतर्गत रक्षा सेवाओं तथा अर्द्ध-सुरक्षाबालों को भी लाया गया है।
 - केंद्र/राज्य सरकारों के सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र/बैंकों में न्यूनतम 10 प्रतिशत हिस्सा रखने वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटियों, संयुक्त उद्यमों के कर्मचारियों को भी जीवन बीमा के दायरे में लाया गया है।
 - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/भारतीय मेडिकल कार्डिसिल के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों/शैक्षिक संस्थान भी इसके अंतर्गत आते हैं।
 - पीएलआई की सुविधा अब डॉक्टरों, इंजीनियरों, प्रबंधन सलाहकारों, चार्टर्ड अकाउटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, वकीलों, बैंकरों आदि को और एनएसई (नेशनल स्टॉक एक्वेंज) और बीएसई (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) में सूचीबद्ध कंपनियों को भी उपलब्ध है।
 - 4,000 रुपये की उच्च बीमा सीमा से शुरू कर, इस योजना के अंतर्गत सभी योजनाओं के लिए 50 लाख रुपये का अधिकतम बीमा किया जाता है।
 - 31 मार्च, 2018 तक 63.69 लाख पॉलिसियों के अंतर्गत 1,22,544.08 करोड़ रुपये का बीमा किया जा चुका है।
 - वर्ष 2017-18 के लिए डाक जीवन बीमा शुल्क 7,499.18 करोड़ रुपये रहा है।
 - एकल बीमा पॉलिसियों के अतिरिक्त, पीएलआई, डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सामूहिक बीमा योजना भी चलाती है।

ग्रामीण डाक जीवन बीमा

- ग्रामीण डाक बीमा योजा (आरपीएलआई) की शुरुआत 24 मार्च, 1995 में बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए आधिकारिक समिति की सिफारिशों के आधार की गई थी।
- इस योजना का मुख्य ध्येय ग्रामीण जन और विशेषकर गांवों के कमज़ोर वर्ग व महिला कर्मियों को बीमा उपलब्ध कराना है और साथ ही ग्रामीण आमजन के बीच बीमा के प्रति जागरूकता फैलाना भी है।

- बीमा क्षेत्र के उदार बनने के साथ ही डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक बीमा योजना को बाजार स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।
- पीएलआई और आरपीएलआई बीमा योजनाएं अन्य बीमा कंपनियों की तुलना में कम लागत पर बीमा कवच उपलब्ध कराती हैं।
- इसीलिए पात्र ग्राहकों में पीएलआई और आरपीएलआई बहुत लोकप्रिय हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं।
- 31 मार्च, 2018 तक आरपीएलआई की 241.1 लाख पॉलिसियां अस्तित्व में आ चुकी जिनके जरिए 1,16,17,428.14 करोड़ रुपये की राशि बीमाकृत हो चुकी है।

डाक जीवन बीमा के 6 बीमा प्लान हैं:

1.	संपूर्ण जीवन सुरक्षा (सुरक्षा)
2.	परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन सुरक्षा (सुविधा)
3.	एंडोमेंट सुरक्षा (संतोष)
4.	अनुमानित एंडोमेंट सुरक्षा (सुमंगल)
5.	संयुक्त बीमा सुरक्षा (युगल सुरक्षा)
6.	बाल पॉलिसी (बाल जीवन बीमा)

ग्रामीण जीवन बीमा के 6 प्लान हैं:

1.	संपूर्ण जीवन सुरक्षा (ग्राम)
2.	परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन सुरक्षा (ग्राम सुविधा)
3.	एंडोमेंट सुरक्षा (ग्राम संतोष)
4.	अनुमानित एंडोमेंट सुरक्षा (ग्राम सुमंगल)
5.	10 वर्षीय ग्रामीण डाक जीवन बीमा (ग्राम प्रिय)
6.	बाल पॉलिसी (बाल जीवन बीमा)

नई एवं मूल्यवर्धित सुविधाएं

स्पीड पोस्ट

- यदि बुकिंग के समय मोबाइल नंबर सही दिया गया हो तो डाक विभाग सामान के आ पहुंचने और डिलिवरी के बाद प्राप्तकर्ता को एसएमएस भी भेजता है।
- स्पीड पोस्ट के सामान पर एड-ऑन सर्विस के रूप में 1 लाख रुपये की बीमा सुविधा भी दी जाती है।
- स्पीड पोस्ट की शुरुआत अगस्त 1986 में की गई। इस सेवा के अंतर्गत 35 किलो तक के बजन वाले पत्रों या पार्सलों को देशभर में कहीं भी तेजी से और निश्चित समयावधि में भेजा जा सकता है।

- ➲ यह डाक विभाग का अग्रणी उत्पाद है और घरेलू एक्सप्रेस उद्योग में इसका स्थान अग्रणी है। इस सेवा से तीन महीने में तीन करोड़ से अधिक पत्र और पार्सल भेजे जाते हैं।
- ➲ स्पीड पोस्ट बुकिंग सुविधा देश के लगभग सभी विभागीय डाकघरों में उपलब्ध है और पूरे देश में सामग्री पहुंचाई जाती है।
- ➲ स्पीड पोस्ट से भेजी गई सामग्री के बारे में ऑनलाइन 13 डिजिट के स्पीड पोस्ट आर्टिकल नंबर के जरिए इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से पता किया जा सकता है।
- ➲ बुकिंग करते समय दिए गए फोन नंबर के आधार पर डाक विभाग डिलिवरी के सामान के पहुंचने पर और डिलीवरी के पश्चात् प्राप्तकर्ता को निःशुल्क एसएमएस भी भेजता है।
- ➲ स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजे गए सामान पर 1 लाख रुपये की सहायक बीमा भी उपलब्ध है।

डाकघर नेटवर्क का पासपोर्ट केंद्र के रूप में लाभ उठाना

- ➲ विभाग की शुरुआत के साथ ही इसे पासपोर्ट सेवाओं के साथ भी जोड़ा गया है क्योंकि पासपोर्ट स्पीड पोस्ट के जरिए पहुंचते हैं।
- ➲ पासपोर्ट सेवाओं का व्यापक स्तर पर और वृद्धि क्षेत्र के उसके अधीन लाने के लिए डाक विभाग और विदेश मंत्रालय नागरिकों की सुविधा के लिए डाकघर नेटवर्क का इस्तेमाल पासपोर्ट सेवा केंद्रों के तौर पर लाभ उठाने के संबंध में राजी हुए हैं।

एक्सप्रेस पार्सल और बिजनेस पार्सल

- ➲ भारत में बढ़ते हुए ई-कॉर्मर्स बाजार ने पार्सल खंड को गति दी है जहां बी से सी पार्सल में वृद्धि हो रही है।
- ➲ इसी तरह, सी से सी श्रेणी में भी आवश्यकता पूरी करने की गुंजाइश है। एक्सप्रेस पार्सल और बिजनेस पार्सल सेवाएं सरकार द्वारा 2013 से शुरू की गईं।
- ➲ एक्सप्रेस पार्सल खुदरा व थोक ग्राहकों के लिए विशिष्ट पार्सल सेवा है।
- ➲ इसके जरिए, पार्सलों की संबद्ध तथा सुरक्षित होम डिलीवरी की जाती है।
- ➲ पारगमन में समय न लगे, इसलिए जरूरत के अनुसार तुरंत इन पार्सलों को हवाई जहाज के माध्यम से भेजा जाता है।
- ➲ एक्सप्रेस पार्सल में न्यूनतम 0.5 किलो. वजन पर शुल्क किया जाता है, जबकि खुदरा ग्राहकों से अधिकतम 20 किलो. पर और सविदा ग्राहकों से 35 किलोग्राम पर शुल्क किया जाता है।

लॉजिस्टिक्स डाक

- ➲ लॉजिस्टिक्स पोस्ट की शुरुआत कॉरपोरेट ग्राहकों को वितरण से जुड़ी सेवाएं दी जाती हैं और देश में विशाल नेटवर्क के जरिए

इस सेवा ने त्वरित संचालन सेवाएं मुहैया करा कर विशिष्ट दर्जा हासिल किया है।

- ➲ लॉजिस्टिक पोस्ट के अंतर्गत डाक विभाग वितरण व्यवस्था के तौर पर, फुल ट्रक लोड (एफटीएल) सेवाएं, लेस डैन ट्रक लोड (एलटीएल) सेवाएं, ऑर्डर प्रोसेसिंग, वेयर हाउसिंग एवं पूर्ति सेवा तथा रिवर्स लॉजिस्टिक्स जैसी सेवाएं उपलब्ध कराता है।
- ➲ लॉजिस्टिक्स पोस्ट द्वारा भेजे गए माल के वजन की ऊपरी सीमा नहीं होती जबकि न्यूनतम वजन सीमा 50 किग्रा है।
- ➲ वायु सेवा द्वारा भेजे जाने वाले सामान में न्यूनतम 25 किग्रा. वजन पर शुल्क लिया जाता है।
- ➲ लॉजिस्टिक्स पोस्ट एयर सेवा की शुरुआत 2013 में हुई थी। शुरुआत में इसके अंतर्गत निम्न 15 शहरों को जोड़ा गया था:
- ➲ अगरतला, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता नागपुर, बंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद, इंफाल, गुवाहाटी, पटना, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम।

बिजनेस पोस्ट

- ➲ किसी पत्रादि को डाक में भेजने से पहले उसे फोल्ड करने, लिफाफे में डालने, टिकट चिपकाने, पता और पोस्टिंग जैसी कई गतिविधियों से गुजरना पड़ता है।
- ➲ बड़ी संस्थाएं ऐसे प्री-मैलिंग कार्य करने में परेशानी महसूस कर रही थीं, जिसे देखते हुए डाक विभाग ने 1996 में 'बिजनेस पोस्ट' सेवा की शुरुआत की थी।
- ➲ इसके अंतर्गत, कॉरपोरेट/सरकारी संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईया और अन्य कॉरपोरेट हाउसेज को भी प्री-मैलिंग जरूरतों का व्यापक समाधान किया जाता है।
- ➲ अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति के अलावा, इस कार्य कॉरपोरेट और विस्तृत डाक उपभोक्ताओं की जरूरतों का समाधान होता है।
- ➲ देश के बड़े डाक घरों के बिजनेस पोस्ट केंद्रों में बिजनेस पोस्ट मेवाएं मौजूद हैं।
- ➲ इसके अंतर्गत, होम/ऑफिस कलेक्शन, अंतर्वेश, सीलिंग, पता लिखना, चिपकाना, विशेष प्रबंधन आदि सेवाएं दी जाती हैं।

डायरेक्ट पोस्ट

- ➲ देश में बढ़ती व्यावसायिक गतिविधियों के कारण व्यापारिक संगठनों के उत्पादों एवं सेवाओं की डायरेक्ट एडवरटाइजिंग की जरूरत बढ़ रही है।
- ➲ बिक्री संदेश या किसी उपभोक्ता अथवा बिजनेस मार्केट से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए तैयार प्रकाशित सामग्री डायरेक्ट मेल सेवा कहलाती है।

- ⦿ विकसित देशों में डायरेक्ट मेल डाक प्रशासनों द्वारा संचालित किया जाने वाला बहुत बड़ा माध्यम होता है। डायरेक्ट मेल किसी विशेष पते के लिए या पता रहित भी हो सकता।
- ⦿ भारत में डायरेक्ट मेल, डायरेक्टर पोस्ट का पता रहित अंश होता है और इमें पत्र, कार्ड, ब्रॉशर्स, प्रावलिया, पेरफलेस, नमूने, सीडी/फ्लॉपी और कैसेट आदि जैसे प्रचार सामग्री हो सकती है।
- ⦿ इसके अलावा कुपन, पोस्टर्स, मेलर्स या भारतीय डाक घर अधिनियम 1898 या भारतीय डाक घर नियम 1933 द्वारा गैर-प्रतिबंधित प्रकाशित सामग्री भी हो सकती है।

रिटेल पोस्ट

- ⦿ ग्राहकों को सुविधा और वहन योग्य सेवाओं को उनके निकट लाने के लिए डाक विभाग को एक ही स्थान के तौर पर विकसित किया जा रहा है।
- ⦿ रिटेल पोस्ट का लाभ उठाने के लिए 1,55,000 डाकघरों के नेटवर्क को बिजली बिल, टेलिफोन बिल, कर, फीस, राखी लिफाफों की बिक्री, पता सत्यापन सेवा, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और रोजगार एजेंसियों आदि सुविधाओं के लिए तैयार किया गया है।
- ⦿ रेल मंत्रालय के सहयोग से डाकघरों में सभी श्रेणियों की रेल टिकटों को सुविधाजनक स्थलों पर मुहैया कराया जा रहा है।

पोस्ट शॉप

- ⦿ अपने ग्राहकों को खरीदारी का आरामदेह अनुभव प्रदान करने के लिए डाक विभाग ने पोस्ट शॉप के सिद्धांत को मूर्त रूप दिया है।
- ⦿ महत्वपूर्ण डाकघरों में स्थित पोस्टशॉप एक सुविधा स्टोर के तौर पर है, जहां आमतौर पर डाक टिकटें फस्ट डे कवर्स, फ्रैम्स, एल्बम और 'माई स्ट्रेप' कॉर्नर होते हैं जहां लोग अपनी तस्वीर वाली स्टाम्प प्राप्त कर सकते हैं।
- ⦿ स्टेशनरी उत्पादों के अलावा इन दुकानों पर कवर्स/लिफाफे, सीडी मेलर्स आदि भी मिलते हैं।
- ⦿ पोस्ट शॉप्स में सांस्कृतिक धरोहर और कारीगरों द्वारा स्थानीय स्तर पर काम में आने वाली पारंपरिक वस्तुओं को भी रखा जाता है।
- ⦿ यहां आधुनिक शेल्फ और रैक पर आकर्षक तरीके से वस्तुएं प्रदर्शित की जाती हैं जिससे ग्राहकों को शॉपिंग का सुखद अहसास होता है।
- ⦿ मौजूदा समय में देश में 80 पोस्ट शॉप कार्यरत हैं और इन्हें ग्राहकों की अधिकाधिक पहुंच के जरिए व्यापक प्रशंसा प्राप्त हुई है।

सार्वभौमिक स्वर्ण बांड योजना

- ⦿ वित्त मंत्रालय द्वारा 2015-16 में शुरू की गई और वित्त मंत्रालय

तथा आरबीआई द्वारा चलाई जा रही सार्वभौमिक स्वर्ण बांड योजना (एसजीबी) को भी विभाग सक्रियता से संचालित कर रहा है।

- ⦿ योजना का लक्ष्य सबसे निचले स्तर पर निवेशकों तक पहुंचना और जनता के बीच 'पेपर गोल्ड' को लोकप्रिय बनाना है।

इलेक्ट्रॉनिक इंडियन पोस्टल ऑर्डर

- ⦿ देश से बाहर रहने वाले नागरिकों द्वारा ऑनलाइन आरटीआई फीस जमा कराने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक इंडियन पोस्टल ऑर्डर (ई-आईपीओ) की शुरुआत की गई थी।
- ⦿ यह प्रस्ताव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा रखा गया था।
- ⦿ धारक फीस ई-पोस्ट ऑफिस पोर्टल के जरिए जमा करा कर इंडियन पोस्टल ऑर्डर खरीद सकते हैं।
- ⦿ वह वीजा या मास्टर डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड से यह फीस जमा करा सकते हैं।
- ⦿ इस सुविधा की शुरुआत 2013 को केवल प्रवासी भारतीयों के लिए की गई थी जो दुनिया भर में कहाँ भी आरटीआई अधिनियम, 2005 के जरिए केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) से सूचना प्राप्त कर सकते थे।
- ⦿ 2013 को विदेशों में स्थित 176 भारतीय दूतावासों में भी इस योजना को समाप्ति किया गया।
- ⦿ 2014 को भारतीय नागरिकों के लिए भी ईआईपीओ सुविधा आरंभ कर दी गई। जिससे उन्हें आरटीआई फीस ऑनलाइन भरने में सुविधा हो।

ई-डाकघर

- ⦿ ई-डाकघर डाक विभाग का ई-कॉर्मर्स पोर्टल है जो इंटरनेट के जरिए चुनिंदा डाक सुविधा प्रदान करता है।
- ⦿ पोर्टल का लक्ष्य आमजन को उनके घरों/दफ्तरों से कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए चुनिंदा डाक सेवाएं प्रदान करने की सुविधा देना है।
- ⦿ इसके जरिए ग्राहक डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से फिलाटेलिक टिकटों की खरीद और पीएलआई/आरपीएलआई के प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। ग्राहक को पहली बार इस वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करना होता है।

ई-डाक

- ⦿ 2004 को आरंभ की गई ई-डाक सेवा इलेक्ट्रॉनिक संदेशों को भेजने की सुविधा देने वाली गर पंजीकृत हाइब्रिड सेवा है जिसमें टेक्स्ट मैसेज, स्कैन किए गए चित्र तथा अन्य तस्वीरें शामिल हो सकती हैं।

- ⦿ हार्ड कॉपी डाकघरों के माध्यम से नियत स्थान पर पहुंचाई जाती है।
- ⦿ मौजूदा समय में, ई-डाक सुविधा 13,000 डाक घरों पर उपलब्ध है और उन्हें 1.54 लाख से अधिक डाकघरों आदि के नेटवर्क के जरिए इंटरनेट की मदद ग्राहक अपनी व्यावसायिक जरूरतों के अनुसार संदेश को तैयार, डिजाइन और भेज सकते हैं।
- ⦿ प्री-पेड ग्राहकों के लिए ऑनलाइन रीचार्ज सुविधा डेबिट/क्रेडिट कार्ड के आधार पर उपलब्ध है।

ई-भुगतान

- ⦿ व्यवसायों एवं संगठनों को डाकघर के माध्यम से अपने बिल या भुगतान प्राप्त करने के रूप में काम करने वाली सेवा है।
- ⦿ ई-भुगतान किसी भी संगठन की ओर से इलेक्ट्रॉनिक विधि से भुगतान प्राप्त कर सकती है।
- ⦿ इसके जरिए टेलिफोन बिल, बिजली बिल, परीक्षा फीस, कर, विश्वविद्यालय फीस, स्कूल फीस आदि प्राप्त की जा सकती है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

- ⦿ भारत 1876 से यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) का सदस्य है। 192 देशों के इस संगठन का लक्ष्य विभिन्न देशों के बीच संबंधों को बढ़ाना, सुगम बनाना और सुधारना है।
- ⦿ यूपीयू के पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल (पीओसी) के चुने गए सदस्य के रूप में भारत कमेटी-1 का सहअध्यक्ष भी है।
- ⦿ भारत सेवा निधि गुणवत्ता, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का प्रतिष्ठित सदस्य भी हैं जो विकासशील देशों में डाक सेवाओं के विकास के लिए काम करता है।
- ⦿ भारत एशियन पैसेफिक पोस्टल यूनियन (एपीपीयू) के 31 सदस्य देशों में से एक है।
- ⦿ एपीपीयू का लक्ष्य सदस्य देशों के बीच डाक संबंधों को बढ़ाना, सहयोग और उनमें सुधार लाना।
- ⦿ साथ ही, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में डाक सेवाओं में सहयोग करना है।

मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट

- ⦿ मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट (एमएनओपी) को डाक तंत्र को सुचारू बनाने के लक्ष्य से उसकी मूल कार्यप्रणाली को सुसंगत बनाने की दृष्टि से शुरू किया गया है।
- ⦿ इस परियोजना में स्पीड पोस्ट, अंतर्राष्ट्रीय डाक, प्रथम श्रेणी डाक और द्वितीय श्रेणी डाक को समाहित किया गया है।
- ⦿ एमएनओपी को देशभर में 23 डाक सर्कलों के जरिए अमल में लाया गया है।

- ⦿ एमएनओपी परियोजना के जरिए नागरिकों को स्पीड पोस्ट की डिलिवरी गुणवत्ता, स्पीड पोस्ट के जरिए बुकिंग से डिलिवरी तक की डाक विभाग की वेबसाइट पर सूचना जैसी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।

सड़क परिवहन नेटवर्क विभाग

- ⦿ पार्सलों के सुरक्षित एवं त्वरित संचारण और विशेषकर ई-कॉमर्स द्वारा प्रेषित सामान को सुरक्षित पहुंचाने के लिए विभाग ने समर्पित मार्ग परिवहन नेटवर्क का गठन किया है।
- ⦿ इस पहल के अंतर्गत, अभी तक, देश के 67 शहरों के 17 सर्कलों के 42 रूटस संचालित किए गए हैं। इसके अलावा, योजना के अंतर्गत 2 लंबे रूट्स भी निर्धारित किए जा चुके हैं।

पोस्टमैन मोबाइल एप (पीएमए)

- ⦿ डाक विभाग के मैसूर स्थित सेंटर फॉर एक्सिलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी (सीपीटी) में पूर्णतया स्वदेशी तकनीक से निर्मित 'पोस्टमैन मोबाइल एप' नामक एंड्रॉयड आधारित एप्लिकेशन विकसित की है।
- ⦿ इसे देशभर में 15,000 स्मार्टफोनों के जरिए लांच किया गया। मोबाइल एप की मदद से डिलिवरी स्टाफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, बिजनेस पार्सल और सीओडी पार्सलों सहित रजिस्टर्ड पोस्ट की वास्तविक समय की डिलिवरी सूचना का हिसाब रखता है।
- ⦿ एप में प्राप्तकर्ता/भेजने वाले के हस्ताक्षर लेने की भी सुविधा है।
- ⦿ वास्तविक समय की डिलिवरी सूचना से पहले जैसी किसी भी तरह की गलती होने की संभावना समाप्त हो जाती है और ग्राहकों को डिलिवरी से जुड़ा असाधारण अनुभव प्राप्त होता है।
- ⦿ डाक विभाग अपने डिलिवरी स्टाफ को 38,000 अतिरिक्त स्मार्टफोन्स उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है।

फिलाटेली

- ⦿ फिलाटेली डाक टिकटों का संग्रह करने, डाक टिकटों का इतिहास और अन्य संबद्ध वस्तुओं के अध्ययन की रुचि है।
- ⦿ यह टिकट संग्रह के अतिरिक्त महत्वपूर्ण अवसरों को मनाने, महत्वपूर्ण व्यक्तियों का स्परण करने तथा राष्ट्रीय विरासत, संस्कृति और घटनाओं को प्रोत्साहित करने का तरीका है।
- ⦿ डाक टिकट संचित्र प्रतिनिधि होती हैं। यह देश की संप्रभुता की अभिव्यक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- ⦿ स्वतंत्रता के उपरांत, डाक टिकटों के माध्यम से विज्ञान एवं तकनीकी में देश की उपलब्धियों को दर्शाया जाता था।
- ⦿ साथ ही, पंचवर्षीय योजना के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक विकास, और इस्पात संयंत्र और बांध आदि के बारे में भी

बताया जाता था।

- ➲ बाद में देश को समृद्ध सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत को दर्शाया गया और कई खूबसूरत डाक टिकटों में कला, स्थापत्य, कौशल, सामुद्रिक धरोहर, विज्ञान, तकनीकी, रक्षा एवं सिनेमा जैसे विषय भी दिखे।
- ➲ स्मारक डाक टिकटों के माध्यम से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महान नेताओं को भी सम्मान दिया गया, जिनमें सबसे प्रमुख नाम महात्मा गांधी का है।
- ➲ राष्ट्रपिता को स्मारक एवं स्थायी डाक टिकटों के माध्यम से सम्मान दिया गया।
- ➲ चित्रकला, साहित्य, विज्ञान, संगीत, सामाजिक उत्थान आदि क्षेत्रों में योगदान देने वाली विभूतियों को भी इस माध्यम से सम्मान दिया गया।
- ➲ ‘डाक चिह्न’ और ‘सांस्कृतिक राजदूत’ के उनके दोहरे चरित्र को ध्यान में रखते हुए डाक टिकटों की स्थायी व स्मारक, दो श्रेणियां हैं।
- ➲ स्थायी डाक टिकट प्रतिदिन की डाक भेजने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इनके डिजाइन अपेक्षाकृत सरल, निर्माण में कम खर्चीली और लंबे समय तक इनकी बड़ी मात्रा में प्रिंटिंग की जाती है।
- ➲ वहीं दूसरी ओर, स्मारक डाक टिकटों को बेहतर कलात्मक दृष्टि से डिजाइन और प्रिंट किया जाता है।
- ➲ इनका निर्माण सीमित मात्रा में होता है और इनको लेकर डाक टिकट के शौकीनों एवं संग्रहकर्ताओं के बीच गहरी रुचि दिखती है।
- ➲ डाक विभाग की फिलेटेलिक गतिविधियां हैं:
 - फिलेटेलिक ब्यूरो और काउंटरों के माध्यम से विशेष/स्मारक डाक टिकटों को डिजाइनिंग प्रिंटिंग, वितरण और बिक्री।
 - नियत डाक टिकटों और डाक स्टेशनरी तथा लिफाफे, अंतर्देशीय पत्र, पोस्ट कार्ड, एरोग्राम, रजिस्टर्ड कवर की डिजाइनिंग, प्रिंटिंग और वितरण।
 - राष्ट्रीय स्तर पर फिलेटेलिक को प्रोत्साहन और फिलेटेलिक प्रदर्शनियों का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय और विश्व प्रदर्शनियों में भागीदारी के साथ राज्य/क्षेत्रीय और जिला स्तर पर प्रदर्शनियों का आयोजन।
 - राष्ट्रीय फिलेटेलिक संग्रहालय, डाक भवन का रख-रखाव।

माई स्टाम्प्स

- ➲ माई स्टाम्प्स भारतीय डाक टिकटों का निजी रूप है।
- ➲ ग्राहक की तस्वीरें और संगठन स्मारकों अथवा कलाकृतियों

की छोटी छवियां, धरोहरनुमा इमारतों, प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों, ऐतिहासिक शहरों, वन्य जीवन, अन्य पशुओं एवं पक्षियों आदि की छोटी तस्वीरों के माध्यम से उन्हें निजी कार्य हेतु उपयुक्त बनाया जाता है।

जन शिकायतें

कंप्यूटरीकृत ग्राहक सेवा केंद्र (सीसीसीसी)

- ➲ अपनी सेवाओं के संबंध में विभाग के पास जन शिकायतें सुनने की सुचारू प्रणाली है।
- ➲ सेवाओं की गुणवत्ता और जन शिकायतें पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निगरानी प्रक्रिया भी मौजूद है।
- ➲ जन शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई और उनके सुचारू संचालन के लक्ष्य के आधार पर विभाग ने ग्राहक सेवा केंद्रों को वेब आधारित शिकायतों के संचालन की दृष्टि से अपग्रेड किया है।
- ➲ कंप्यूटराइज्ड ग्राहक सेवा केंद्र (सीसीसीसी) सॉफ्टवेयर के बदले स्वरूप को 2010 से काम में लाया जा रहा है।
- ➲ इसके अलावा, स्वचालित पावती उत्पादन; अनसुलझी शिकायतों पर बेहतर कार्रवाई और शीघ्र निपटान के लिए अगले प्रशासनिक स्तर पर भेजना; शिकायतों का छोटी, बड़ी और गंभीर श्रेणियों में आवंटन; जांच पूरी होने पर शिकायतकर्ता को स्वचालित उत्तर; शिकायतकर्ता से फीडबैक उपलब्ध करना आदि जैसी सुविधाओं को भी जोड़ा गया है।
- ➲ मौजूदा समय में देशभर में डाकघरों, छंटाई केंद्रों, स्पीड पोस्ट केंद्रों और मंडलीय/क्षेत्रीय/सर्कल मुख्यालयों में जन शिकायतों के निपटान के लिए 19201 सीसीसीसी स्थापित किए जा चुके हैं जो इस संबंध में ऑनलाइन सूचना का आदान-प्रदान करते हैं।
- ➲ इस नेटवर्क में देश के सभी मुख्य डाकघरों को समाहित किया गया है। इसका लक्ष्य ग्राहकों की शिकायतों के अलावा, उनके लिए जरूरी सूप बदल को त्वरित और सुचारू बनाना है।

सोशल मीडिया सेल

- ➲ सोशल मीडिया सेल एक स्वायत्त इकाई है और ट्रिवटर तथा फेसबुक पर डाक विभाग के संभालता है।
- ➲ सोशल मीडिया से जुड़ी शिकायतें समयबद्ध होती हैं और 24 घंटे के भीतर इनका जवाब दिया जाता है।
- ➲ सोशल मीडिया सेल प्रतिदिन सभी सर्कलों को भेजी गई शिकायतों पर नजर रखता है।
- ➲ जुलाई 2018 तक विभाग को ट्रिवटर सेवा पर 1,06,096 शिकायतें प्राप्त हुई और उनके निपटान की दर 99.6% रही।

सूचना प्रौद्योगिकी

- ➲ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरनेट (आईएसपी लाइसेंसिंग को छोड़कर) तथा साइबर सुरक्षा संबंधी नीतिगत विषयों को देखता है।
- ➲ इसका उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए ई-गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी एवं आईटीईएस उद्योगों के समावेशी और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना, इंटरनेट गवर्नेंस में भारत की भूमिका को बढ़ाना, बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना जिसमें मानव संसाधनों का विकास, अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को बढ़ावा देना, डिजिटल सेवाओं द्वारा दक्षता बढ़ाना और सुरक्षित साइबर स्पेस सुनिश्चित करना है।
- ➲ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम लांच करने के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भूमिका बढ़ गई है।
- ➲ कार्यक्रम का लक्ष्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है।
- ➲ कार्यक्रम के तीन विजन हैं- प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना मांग आधार पर गवर्नेंस और सेवाएं तथा देश में डिजिटल खाई को पाठ कर नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना।
- ➲ यह परिवर्तनकारी कार्यक्रम अवसंरचना, विनिर्माण, कौशल तथा डिलिवरी प्लेटफॉर्म की समग्र क्षमता को बनाने के लिए तैयार किया गया है जो कालक्रम में आत्मनिर्भर ज्ञान अर्थव्यवस्था बनाने में नेतृत्व करेगा।
- ➲ प्रत्येक नागरिक की उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना में नागरिक सेवा प्रदान करने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट को उपलब्धता, प्रत्येक नागरिक के लिए डिजिटल पहचान मोबाइल फोन और बैंक खातों से डिजिटल और वित्तीय क्षेत्र में नागरिकों की भागीदारी पब्लिक कन्नारद के बीच निजी स्थान बनाना और देश में सुरक्षित और सुदृढ़ साइबर स्पेस गठित करना।
- ➲ नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने में वैशिक डिजिटल साक्षरता उपलब्ध कराना, डिजिटल स्रोतों तक आसान पहुंच बनाना, सभी सरकारी दस्तावेज/प्रमाण-पत्र क्लाउड पर उपलब्ध कराना और डिजिटल स्रोतों/सेवाओं को भारतीय भाषाओं में क्लाउड के माध्यम से सभी के अधिकार सुनिश्चित करना है।
- ➲ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विकास के नौ स्तरों यथा ब्रॉडबैंड हाइपे, मोबाइल कनेक्टिविटी से सभी को जोड़ना, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ई-गवर्नेंस, तकनीक के माध्यम से प्रशासनिक सुधार, ई-क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी, सब के लिए सूचना की उपलब्धता, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण,

- ➲ सूचना प्रौद्योगिकी का नौकरियों और अच्छी पैदावार के लिए कृषि कार्यक्रमों में इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- ➲ मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का समन्वय केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों के विभागों के साथ किया जाता है। मंत्रालय दो प्रमुख अधिनियमों के दायरे में कार्य करता है।
- ➲ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा के आदान-प्रदान द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सूचना के अन्य साधनों जिन्हें सामान्यतः 'इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य' कहा जाता है और जिसमें पत्र-व्यवहार और सूचना के भंडारण के कागज आधारित विकल्पों का उपयोग शामिल है, किए गए कार्यों को विधिक मान्यता देने तथा सरकारी अभिकरणों को इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में फाइल करने का प्रावधान है।
- ➲ इसके अंतर्गत, साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन को भी निर्देशित किया गया है। इस अधिनियम में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 के माध्यम से संशोधन किया गया।
- ➲ इस संशोधन में 'डिजिटल दस्तखत' के स्थान पर 'इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत' शब्द रखा गया है।
- ➲ इस संशोधन के माध्यम से नए खंड जोड़ने के साथ-साथ विभिन्न खंडों में बड़े परिवर्तन किए गए।

डिजिटल हस्ताक्षर

- ➲ डिजिटल हस्ताक्षर या सिग्नेचर एक प्रकार का कंप्यूटर कोड होता है, इसका प्रयोग केवल अधिकृत व्यक्ति ही कर सकता है, जिसे उपयोग करने के लिये या तो यूजर आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होती है।
- ➲ इसके अलावा कहीं-कहीं डॉगेल का भी प्रयोग किया जाता है जो एक प्रकार की पेनड्राइव जैसी डिवाइस होती है।
- ➲ यह उसी प्रकार की व्यवस्था है, यानि डिजिटल सिग्नेचर केवल वही व्यक्ति कर पायेगा, जिसके पास यह दोनों चीजें हों।
- ➲ जैसे कागज के सर्टिफिकेट्स पर मैनुअली साइन किये जाते थे, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स पर डिजिटल सिग्नेचर किये जाते हैं। यह कानूनी तौर पर मान्य होते हैं।
- ➲ लक्षित लाभार्थियों तक विभिन्न लाभों और सब्सिडी को पहुंचाने के उद्देश्य से आधार प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने के सभी प्रयास किए गए हैं।
- ➲ आधार को वैधानिक शक्ति प्रदान करने के लिए संसद में उचित विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

- ➲ आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडियों, लाभों और सेवाओं की लक्षित आपूर्ति) कानून, 2016 में सब्सिडियों, लाभों और सेवाओं की डिलिवरी में सुशासन, दक्षता, पारदर्शिता का प्रावधान है।
- ➲ इस पर आने वाला खर्च भारत की सचित निधि से किया जाता है। यह लाभ भारत में रहने वाले लोगों को आधार संख्या प्रदान कर दिया जाता है।
- ➲ इस विधेयक में आधार नामांकन संख्या, यूआईडीएआई की मौलिक स्थापना आदि सभी क्षेत्रों को समाहित किया जाता है। यूआईडीएआई अब वैधानिक इकाई है।

डिजिटल पहचान

- ➲ आधार 12 अंकों का बायोमीट्रिक और जनसंखियकी आधारित पहचान स्थापित करता है जो अपने आप में अनोखी, ऑनलाइन और प्रामाणिक होती है।
- ➲ 12 जुलाई, 2016 को अस्तित्व में आए आधार विधान के अंतर्गत, यूआईडीएआई आधार नामांकन और प्रमाणीकरण के लिए जिम्मेदार होता है।
- ➲ आचार अधिनियम 2016 के अंतर्गत आधार संबंधित कार्यों के सभी चरण, योजना विकास, व्यक्तियों का आधार वितरण की प्रक्रिया एवं प्रणाली तथा प्रमाणीकरण की देखरेख और लोगों को निजी सूचना एवं प्रमाणीकरण रिकॉर्डों को सुनिश्चित करना शामिल है।
- ➲ अभी तक 116 करोड़ आधार कार्ड बनाए जा चुके हैं।
- ➲ आधार वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता तथा डिजिटल लेनदेन और भुगतान में भी सहायक भूमिका निभाता है। इससे जुड़ी कुछ बड़ी शुरुआते हैं:

आधार सक्षम भुगतान

- ➲ **आधार पेमेट ब्रिज (एपीबी):** ऐसे किसी भी व्यक्ति के आधार नंबर के जरिए उसके बैंक खाते में भुगतान भेजा जा सकता है, बशर्ते कि उसका खाता आधार नंबर से जुड़ा हो।
- ➲ एपीबी के जरिए भारत सरकार लाभार्थियों के खातों में लाभ एवं सब्सिडी सीधे भेज सकती है।
- ➲ **आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (ईपीएस):** ईपीएस ऐसा मंच है जिसके जरिए व्यक्ति मार्फतोएटीएम से अपने खाते में बुनियादी लेन देन कर सकता है, जिनमें पैसा निकालना, कैश जमा करना, पैसे का स्थानांतरण आदि शामिल हैं।
- ➲ बैंक का चुनाव स्थानिक निवासी करता है क्योंकि यह स्थानिक आधारित लेन देन होता है।
- ➲ **आधार भुगतान:** यह ईपीएस का व्यापारिक रूप है।

- ➲ यह एप्लिकेशन सस्ते एंड्रॉयड फोन पर, सरल बायोमीट्रिक उपकरण से नियंत्रित किया जा सकता है।
- ➲ इसके द्वारा व्यापारी ग्राहकों से कैशहित भुगतान प्राप्त कर सकता है। इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी।
- ➲ **पेटू आधार:** भीम एप से जुड़ी यह सुविधा यूपीआई प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसके जरिए, प्राप्तकर्ता के आधार नंबर को वित्तीय पते के रूप में पर्सन-टू-पर्सन (पी2पी) भुगतान किया जा सकता है।
- ➲ भुगतान करने वाले और प्राप्तकर्ता के आधार नंबर जुड़े होने चाहिए। 2017 को यह योजना शुरू की गई थी।

आधार सक्षम सेवाएं

- ➲ **पीडीएस के तहत अनाज का लक्षित वितरण:** 18.05 करोड़ राशन कार्ड धारकों को आधार प्रमाणीकरण के बाद राशन प्राप्त होता है। इससे इस बात की सुनिश्चितता रहती है कि कोई अन्य उनका राशन न प्राप्त करें और चोरी आदि जैसे मामलों में कमी आती है।
- ➲ आधार व्यवस्था से 2.33 करोड़ जाली राशन कार्डों और डीबीटी प्रक्रिया पर रोक लगी है जिससे मार्च, 2017 तक 14,000 करोड़ रुपयों की बचत हुई है।
- ➲ **पहल और उज्ज्वला योजनाएः:** पहल योजना के अंतर्गत 15.12 करोड़ एलपीजी लाभार्थियों को एलपीजी सब्सिडी उनके बैंक खातों में प्राप्त होती हैं।
- ➲ उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को 2.5 करोड़ करेक्षण जारी किए गए हैं।
- ➲ **ई-केवाईसी से बैंक खाते खोलने की सुलभता:** आधार ने इसे बैंक खाता खोलने के लिए एकल दस्तावेज के तौर पर सक्षम बनाया है।
- ➲ **आयकर जमा कराने के लिए ई-सत्यापन:** आधार द्वारा ओटीपी प्रमाणीकरण के जरिए आयकर जमा कराने और आयकर अधिकारियों को भौतिक तौर पर आईटीआर-5 भेजने के लिए आयकर देने वालों को सहूलियत दी गई है।

ई-गवर्नेंस

- ➲ शीर्ष कार्यक्रम के रूप में डिजिटल इंडिया की शुरुआत के साथ ई-क्रांति, ई-गवर्नेंस प्रणालियों में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अपनाने की नीति, ईमेल नीति, आईटी संसाधनों के उपयोग की नीति, सरकारी एप्लीकेशनों के सोर्स कोर्ड को खोल कर सहकारी एप्लीकेशन विकास की नीति, क्लाउड रेडी एप्लीकेशनों के

- लिए एप्लीकेशन विकास और ई-गवर्नेंस सक्षमता रूपरेखा जैसी अनेक नीतिगत पहल की गई है।
- ⦿ इस दिशा में ई-जिले, समान सेवा केंद्र तथा राज्यव्यापी एरिया नेटवर्क (एसडब्ल्यूएएन) जैसी प्रमुख योजनाएं भी काम कर रही हैं।
 - ⦿ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अपनाने की नीति: यह नीति सरकारी संगठनों में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर (ओएसएस) को औपचारिक रूप से अपनाने तथा उपयोग को प्रोत्साहन देती है।
 - ⦿ सभी सरकारी संगठन, ई-गवर्नेंस एप्लीकेशंस तथा प्रणाली को लागू करते समय नीति का परिपालन सुनिश्चित करना होता है।
 - ⦿ रणनीतिक नियंत्रण, सुरक्षा, संपूर्ण जीवन लागत तथा समर्थन आवश्यकताओं के संदर्भ में ओएसएस तथा क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर (सीएसएस) की तुलना करके निर्णय लेंगे।

ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर

- ⦿ ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर (OSS) ऐसा सॉफ्टवेयर है, जो सोर्स कोड के साथ वितरित किया जाता है, जिसे उपयोगकर्ताओं द्वारा पढ़ा या संशोधित किया जा सकता है और इसका सोर्स कोड (प्रोग्रामर ने जिस मीडियम में सॉफ्टवेयर का निर्माण तथा परिवर्तन किया है) इंटरनेट पर फ्री रूप से उपलब्ध होता है।
 - ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को स्वतंत्र रूप से वितरित किया जा सकता है।
 - इसमें सोर्स कोड को सॉफ्टवेयर के साथ शामिल किया जा सकता है।
 - ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड में कोई भी सुधार कर सकता है।
 - सोर्स कोड के संशोधित वर्जन को पुनर्वितरित किया जा सकता है।
 - साथ ही, एक ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस को अन्य सॉफ्टवेयर के संचालन के बहिष्करण या हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है।
- ⦿ सरकारी एप्लीकेशनों के सोर्स कोड को खोल कर सहयोगी एप्लीकेशन विकास: इस नीति का उद्देश्य ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन की गति को बढ़ाना तथा ओपन सोर्स कोड अपनाना, उच्च गुणवत्ता संपत्र ई-एप्लीकेशनों को संयुक्त प्रयास से तेजी से क्रियान्वित करना है।
- ⦿ नवाचारी ई-एप्लीकेशनों और सॉल्यूशंस को संयुक्त प्रयास के जरिए प्रोत्साहन देना भी लक्ष्य है।

- ⦿ **सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों के उपयोग:** यह नीति उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित करती है।
- ⦿ इसका उद्देश्य सरकारी सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों तक उचित पहुंच और उपयोग को सुनिश्चित करना और उसका दुरुपयोग रोकना है।
- ⦿ **भारत सरकार की ईमेल नीति:** यह नीति सरकार की ईमेल सेवाओं के उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश निर्धारित करती है।
- ⦿ यह नीति भारत सरकार की ईमेल सेवा का उपयोग करने वाले भारत सरकार के सभी कर्मचारियों/राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के उन कर्मचारियों पर लागू होती है जो भारत सरकार की ईमेल सेवा का उपयोग करते हैं।
- ⦿ इसका उद्देश्य भारत सरकार के ई-मेल सर्वर इस्तेमाल करने वालों को इसके सुरक्षित इस्तेमाल और एक्सेस को सुनिश्चित करना है।
- ⦿ **ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेसेज (एपीआई):** यह ओपन एपीआई के संबंध में सरकार की शुरुआत है जिसका उद्देश्य सभी ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन तथा प्रणालियों के लिए सॉफ्टवेयर के अंतर्संचालन को प्रोत्साहित करना तथा नागरिकों सहित सभी हितधारकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए डाटा सेवाओं तक एक्सेस प्रदान करना है।
- ⦿ **ई-गवर्नेंस सक्षमता रूपरेखा (ई-जीसीएफ):** टूलकिट में सरकारी कर्मचारियों के लिए एंड यूजर नॉलेज एरिया का सेट होता है।
- ⦿ इस रूपरेखा का उद्देश्य क्षमता सृजन योजना को सुदृढ़ बनाना है ताकि ई-गवर्नेंस के अंतर्गत विभिन्न कार्य भूमिकाओं के लिए आवश्यक सक्षमता आधारित प्रणाली के माध्यम से सक्षमता को चिह्नित और परिभाषित किया जा सके।
- ⦿ सेवाओं की गुणवत्ता में परिवर्तन करने तथा एकीकृत सेवाएं प्रदान करने के लिए 'ई-क्रॉटि' पहल का उद्देश्य क्लाउड और मोबाइल प्लेटफॉर्म जैसी उभरती प्रौद्योगिकी का उपयोग करना और सेवाओं को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित करना है।
- ⦿ इस कार्यक्रम का सिद्धांत 'परिवर्तन' करना है, कार्य में परिणत करना नहीं। इसका उद्देश्य एकीकृत सेवाएं प्रदान करना है, व्यक्तिगत सेवाएं देना नहीं।
- ⦿ एक अन्य महत्वपूर्ण पहल 'जीवन प्रमाण' है जिसका उद्देश्य पेंशनधारियों को आधार आधारित डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्रदान करना है।
- ⦿ इसकी शुरुआत से अभी तक 88.72 लाख पेंशनधारकों ने इस पोर्टल पर रजिस्टर किया है और 77.04 लाख डिजिटल प्रमाणपत्रों को सफलतापूर्वक प्रोसेस्ड किया जा चुका है।

- ➲ एक 'डिजिटल लॉकर प्रणाली' की परिकल्पना एक प्लेटफॉर्म के रूप में की गई है जिससे नागरिक सेवा प्रदाताओं से अपना दस्तावेज साझा कर सकेंगे और सेवा प्रदाता इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों के दस्तावेजों को एक्सेस कर सकेंगे।
- ➲ 'ई-साइन' की रूपरेखा जारी कर दी गई है। इससे नागरिक आधार कार्ड का उपयोग करते हुए दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर कर सकेंगे।

डिजीटल लॉकर

- ❑ भारत सरकार हर सरकारी काम का डिजिटीलाइजेशन कर रही है। इस क्रम भारत के संचार एवं आईटी मंत्रालय की शाखा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी ने हाल ही में डिजिटल लॉकर के एक बीटा संस्करण को लांच किया है।
- ❑ इस संस्करण का नाम डिजीलॉकर रखा गया है। इस नए डिजी सिस्टम के माध्यम से आप अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेव कर पाएंगे।
- ❑ आप इंटरनेट में जाकर digitallocker-gov-in में जाकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
- ❑ डिजीटल लॉकर को खोलने के लिए आपको डिजिलॉकर की वेबसाइट पर जाकर अपना खाता खोलना होगा। पंजीकरण करने के लिए आपको मुख्यपृष्ठ पर (अभी रजिस्टर करें) नामक बटन दबाना होगा और फिर नए खुले पृष्ठ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालना होगा।
- ❑ फिर आप ओटीपी या अंगुली के निशान के जरिए लॉगिन (अंदर प्रवेश) कर सकते हैं। लॉगिन होने के बाद आपसे जो सूचना मांगी जाए उसे भरें। इसके बाद आपका खाता बन जाएगा।
- ❑ खाता खुलने के बाद आप कभी भी इस पर अपने व्यक्तिगत दस्तावेज डाल (अपलोड कर) सकेंगे और बिना किसी शुल्क के सुरक्षित रख सकेंगे।
- ❑ लेकिन आईडी बनाने के लिए आधार कार्ड नंबर से लॉगिन करने वाली शर्त को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
- ➲ राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल किसी भी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि प्रदान करने वाला केंद्रीकृत मंच है।
- ➲ इस प्रणाली में विद्यार्थियों का पंजीकरण, प्रार्थना पत्र, मंजूरी एवं अदायगी कार्य समाहित हैं। 1.21 करोड़ से अधिक आवेदन जारी किए जा चुके हैं। 8 मंत्रालयों/विभागों की 52 योजनाएं पंजीकृत की गई हैं।
- ➲ विभिन्न विभागों की सरकारी सेवाओं को एकीकृत करने के लिए मोबाइल सेवा कार्यक्रम लांच किया गया है।
- ➲ स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा, सामाजिक कल्याण तथा ई-गवर्नेंस

पर सूचना प्रदान करने के लिए 15 से अधिक भाषाओं में 'विकासपीडिया' पोर्टल लांच किया गया है। इसमें और भाषाओं को जोड़ा जाएगा।


- ➲ Mygov.in एक अभिनव प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य सरकार के निर्णयों में जन भागीदारी सुनिश्चित करना है ताकि सुशासन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।
- ➲ यह नागरिकों और विश्व भर के शुभेच्छुओं के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर भारत के प्रधानमंत्री के साथ अपने विचार साझा करने का अवसर प्रदान करता है।
- ➲ भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली ई-सेवाओं के संबंध में लगातार फीडबैक के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने 'रेपिड असेसमेंट सिस्टम (आरएएस)' की शुरुआत की है।
- ➲ इस प्रणाली में फीडबैक प्राप्ति के लिए विभिन्न चैनल हैं और विश्लेषणकर्ता इस पर नजर रखते हैं। यह विश्लेषणकर्ता स्थायी सुधार और बेहतर प्रशासन के लिए संबंधित विभागों को सहयोग करते हैं।
- ➲ ई-संपर्क डाटाबेस जन प्रतिनिधियों तथा सरकारी कर्मचारियों को संदेश और ईमेल भेजने के लिए विकसित किया गया है।
- ➲ इस डाटाबेस में 1.90 लाख ईमेल एड्रेस और 82 करोड़ मोबाइल नंबर हैं। 563 अभियानों के लिए मेलर्स/भेजी गई ईमेल्स की संख्या 301 करोड़ से अधिक है।
- ➲ ई-ताल वेब पोर्टल, मिशन मोड परियोजनाओं सहित राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की ई-गवर्नेंस योजनाओं के संबंध में ई-लेनदेन आंकड़ों के प्रसार का काम करता है।
- ➲ आधार सहायक बायोमीट्रिक अटेंडेंस प्रणाली (ईबीएस): सरकार में दक्षता लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आधार सक्षम बायोमीट्रिक अटेंडेंस प्रणाली लागू की गई है।
- ➲ ई-पेमेंट संरचना: सभी भुगतान और प्राप्तियां इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगी। ऑनलाइन भुगतान के लिए सामूहिक मंच payonline.gov.in पोर्टल लांच किया गया है।
- ➲ ई-अस्पताल: बाह्यरोगी पंजीकरण (ओआरएफ) सरकारी अस्पतालों में ऑनलाइन ओपीडी अपॉइंटमेंट सुविधा के लिए है। इसमें रोगी देखभाल, प्रयोगशाला सेवाएं तथा चिकित्सा रिकॉर्ड प्रबंधन को कवर किया गया है।
- ➲ ई-जिले: यह ई-क्रांति के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) होती है। इस परियोजना का नोडल मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है और इसे राज्य सरकारों तथा उनकी निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा लागू किया जाएगा।

- ➲ मिशन मोड परियोजना का उद्देश्य जिला और ऐसे उपजिला स्तर पर, जो किसी अन्य मिशन मोड परियोजना का हिस्सा नहीं हैं, एमएमपी ई-अवसंरचना के चार स्तंभों का लाभ उठाकर उन्हें अमल में लाती है।
- ➲ यह परियोजना 634 जिलों में लांच की गई और 1012 ई-सेवाएं भी लांच की गई हैं।
- ➲ समान सेवा केंद्र: इस योजना का उद्देश्य भारत के 6 लाख गांवों में आईसीटी सक्षम क्रांत एंड सेवा आउटलेट प्रदान करना है।
- ➲ ऐसे इंटरनेट सक्षम केंद्रों से नागरिकों, निजी कौशल विकास, शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और वित्तीय सेवाओं तक एकसेस की अनुमति होती है। बैंकिंग, बीमा तथा प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत पेंशन सेवाओं ने समान सेवा केंद्रों (सीएससी) को जीवंत बना दिया है।
- ➲ डिजिटल साक्षरता प्रसार के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान (डीआईएसएचए) से सीएससी के माध्यम से नागरिकों को सक्रिय भागीदारी सक्षम बनाया गया है।
- ➲ आधार नामांकन/अपडेट को सीएससी के जरिए सक्षम बनाया गया है। देश में 3,00,774 सीएससी पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें अगस्त 2017 तक 1,96,922 ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर हैं।
- ➲ राज्यव्यापी एरिया नेटवर्क (एसडब्ल्यूएएन): एसडब्ल्यूएएन को ई-गवर्नेंस कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए मुख्य अवसंरचना तत्व के रूप में चिह्नित किया गया है।
- ➲ राष्ट्रीय गवर्नेंस एक्शन प्लान के अंतर्गत इसे एनआईसीएनईटी/राज्य व्यापी एरिया नेटवर्क (एसडब्ल्यूएएन) के जरिए ब्लॉक स्तर तक पहुंचाने का प्रस्ताव है।
- ➲ यह 34 राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों के विभागों में कार्यरत है और इसकी औसत बैंडविड्थ उपयोग 60% है। एसडब्ल्यूएएन को 28 राज्यों/यूटीज में राष्ट्रीय ज्ञान संजाल (एनकेएन) के साथ जोड़ा गया है।
- ➲ क्षमता विकास योजना 2 (सीबी स्कीम 2): राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना, एमईआईटीवाई के अंतर्गत, भारत सरकार ने क्षमता विकास योजना के द्वितीय चरण को पारित किया है।
- ➲ इसके अधीन, सरकारी तंत्र में उचित योग्य गुणों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए समानता और तालमेल की जरूरत पर बल दिया गया है।
- ➲ क्षमता विकास योजना के द्वितीय चरण का प्रमुख उद्देश्य केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यीय केंद्रशासित लाइन विभागों में विभिन्न पहलों के लिए ई-गवर्नेंस को सशक्त करना है।
- ➲ जीआई क्लाउड: क्लाउड संगणना के उपयोग और लाभ देने के लिए सरकार ने महत्वाकांक्षा और महत्वपूर्ण कार्यक्रम ‘जी

- ➲ क्लाउड’ प्रारंभ किया है जिसे ‘मेघराज’ नाम दिया गया है।
- ➲ इस कार्यक्रम का फोकस रणनीति विकसित करने तथा सरकार में क्लाउड के प्रसार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी व्यवस्था सहित विभिन्न घटकों को लागू करने पर है।

क्लाउड कम्प्यूटिंग

- ➲ क्लाउड कम्प्यूटिंग या मेघ संगणना वास्तव में इंटरनेट-आधारित प्रक्रिया और कंप्यूटर एप्लीकेशन का इस्तेमाल है।
- ➲ गूगल एप्स क्लाउड कंप्यूटिंग का एक उदाहरण है जो बिजनेस एप्लीकेशन ऑनलाइन मुहैया करता है और वेब ब्राउजर का इस्तेमाल कर इस तक पहुंचा जा सकता है।
- ➲ इंटरनेट पर सर्वरों में जानकारियाँ (अनुप्रयोग, वेब पेजेस, प्रोग्राम इत्यादि सभी) सदा सर्वदा के लिए भंडारित रहती हैं और ये उपयोक्ता के डेस्कटॉप, नोटबुक, गेमिंग कंसोल इत्यादि पर आवश्यकतानुसार अस्थाई रूप से संग्रहित रहती हैं।
- ➲ इसे थोड़ा विस्तारित और सरल रूप में कहें तो सीधी सी बात है कि अब तक जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आप स्थानीय रूप से अपने कम्प्यूटर और लैपटॉप-नोटबुक पर संस्थापित करते रहे थे, अब इनकी कर्तव्य आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि ये सब सॉफ्टवेयर अब आपको वेब सेवाओं के जरिए मिला करेंगी।
- ➲ वेब होस्टिंग के क्षेत्र में भी क्लाउड का उपयोग कर नवीनतम प्रकार की वेब होस्टिंग सेवा क्लाउड होस्टिंग प्रस्तुत की गई है।
- ➲ यही नहीं, गूगल गियर जैसे अनुक्रमों के जरिए आपको इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं ऑफलाइन भी मिला करेंगी।
- ➲ क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग की एक शैली है जिसमें गतिक रूप से परिमाप्य और अक्सर आभासी संसाधनों को इंटरनेट पर एक सेवा के रूप में उपलब्ध कराया जाता है।



- ➲ राष्ट्रीय जियो-इन्फॉरमेटिक्स सेंटर (एनसीओजी): यह केंद्र सरकारी मंत्रालयों/विभागों को जीआईएस आधारित सेवाएं प्रदान करता है।
- ➲ एनसीओजी वर्तमान में विभिन्न संगठनों के लिए जीआईएस आधारित निर्णय समर्थ प्रणाली तैयार करने का काम कर रहा है।
- ➲ ग्राम स्तर, प्रमुख सड़कों, नदियों, रेल तक प्रशासनिक सीमाओं के लिए पूरे देश में 1:10,000 के स्केल पर बेस मैप लेयर्स पूरे कर लिए गए हैं।
- ➲ जीआईएस आधारित डिसिजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं। अभी तक, विभिन्न डोमेन्स तक 21 एप्लीकेशन कार्य कर रहे हैं।

डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन

- ➲ डिजिटल भुगतान तंत्र डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का नैसर्गिक विस्तार है और इसमें वित्तीय लेनदेन को औपचारिक बनाकर अर्थव्यवस्था को बदलने की पूरी क्षमता है।
- ➲ डिजिटल भुगतान के जरिए कम कीमत पर सेवाएं, व्यापक मापक क्षमता का वहन और लघु उद्योगों को औपचारिक वित्तीय सेवाओं तथा ई-वाणिज्य के लाभ मुहैया कराए जा सकते हैं।
- ➲ 2016 में नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विभिन्न स्वरूपों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 'डिजिशाला' नामक एक नये शैक्षिक चैनल की शुरुआत की गई थी।
- ➲ डीडी फ्री डिश के साथ, डिजिशाला अब चैनल नंबर 2032 डिश टीवी (जी ग्रुप) पर भी उपलब्ध है।
- ➲ डीडी फ्री डिश पर डिजिशाला शैक्षिक एवं गैर-व्यावसायिक टीवी चैनल के तौर पर उपलब्ध है।
- ➲ 2016 में ही www.cashlessindia.gov.in नामक नई वेबसाइट की शुरुआत की गई थी। बतौर ज्ञान संग्रहक इसका लक्ष्य विभिन्न तरह की डिजिटल भुगतान विधियों, योजनाओं के प्रति नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाना है।

UPI

- ➲ UPI या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सीधे बैंक अकाउंट में पैसे भेजने और प्राप्त करने में आपकी मदद करता है।
- ➲ यह सिर्फ अपने UPI ID या अकाउंट नंबर का इस्तेमाल करके पैसे ट्रांसफर करने में आपकी मदद करता है।
- ➲ बाजार में कई लोकप्रिय UPI ऐप्स उपलब्ध हैं जैसे BHIM, तेज, SBI UPI, HDFC UPI, iMobile ऐप आदि।

ई-वॉलिट

- ➲ ई-वॉलिट ने उस समय लोगों को काफी राहत पहुंचाई थी, जब नोटबंदी के कारण नोटों की किल्लत हो गई थी।

- ATM भी खाली हो गए थे। तब से लोगों ने इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के एक हिस्से के रूप में अपनाना शुरू कर दिया है।
- ई-वॉलिट का इस्तेमाल यूटिलिटी बिल भरने, लोकल स्टोर्स से खरीदारी करने, किसी को पैसे भेजने और प्राप्त करने आदि के लिए किया जा सकता है। याद रखें कि RBI के दिशा-निर्देशानुसार अब ई-वॉलिट का इस्तेमाल करने के लिए KYC अनिवार्य है।

AEPS

- आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस (AEPS) पेमेंट करने का एक डिजिटल मोड है जो आपके लेनदारों को पेमेंट करने के लिए आपके आधार नंबर का इस्तेमाल करता है।
- पेमेंट करने के अन्य डिजिटल मोड के विपरीत, AEPS आपके द्वारा या आपकी तरफ से किए गए लेनदेन के लिए आपसे चार्ज लेता है।
- सुविधा की बात यह है कि यह पासवर्ड के रूप में सिर्फ आपके फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करता है और इसके लिए किसी सिग्नेचर, अकाउंट नंबर या किसी अल्फाबेटिक या न्यूमेरिक पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है।
- आप इसके माध्यम से इंटरबैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं।

USSD

- अनस्ट्रक्चर्ड सप्लिमेंटरी सर्विस डेटा (USSD) बाकी सब से थोड़ा अलग है क्योंकि इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है।
- आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं या MPIN चेंज कर सकते हैं और वह भी बस एक फीचर फोन की मदद से।
- इसे ₹99 बैंकिंग भी कहा जाता है क्योंकि यह लेनदेन करने के लिए अपने कोड के रूप में ₹99 का इस्तेमाल करता है।
- इस प्लैटफॉर्म के माध्यम से एक दिन में एक ग्राहक द्वारा अधिक से अधिक 5000 रुपये का लेनदेन किया जा सकता है और प्रत्येक लेनदेन पर अधिक से अधिक 2.5 रुपये चार्ज लिया जाता है।

- ➲ डिजिटल भुगतान एवं लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए 'डिजिधन मिशन' नामक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- ➲ सार्वभौमिक इलेक्ट्रॉनिक सुगमता की राष्ट्रीय (2013) को दिव्यांग व्यक्तियों की बाधाओं को दर करने के साथ साथ उन्हें दैनिक जीवन में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईसीटी में स्वतंत्र रूप भाग लेने के लिए शुरू किया गया था।

- ➲ इलेक्ट्रॉनिक विकास कोष: इलेक्ट्रॉनिक विकास कोष (ईडीएफ) को 'फंड ऑफ फंड्स' के तौर पर स्थापित किया गया है ताकि वह पेशेवर तरीके से संचालित 'कन्या कोष' को सहयोग दे सकें।
- ➲ कन्या कोष इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो-इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र में नई तकनीकों पर काम करने वाली कंपनियों को आयात पूँजी उपलब्ध कराएगा।
- ➲ यह फंड इन तकनीकी क्षेत्रों को शोध एवं विकास और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग उपलब्ध कराएगा। ईडीएफ के जरिए निवेश के लिए 22 कन्या कोषों का चयन किया गया है।

अनुसंधान विकास प्रोत्साहन और नवाचार

- ➲ राष्ट्रीय सुपरकम्प्यूटिंग मिशन (एनएसएम): यह योजना 4,500 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ शुरू की गई है ताकि भारत विश्व स्तरीय कम्प्यूटिंग शक्तियों की श्रेणी में पहुंच सके।
- ➲ इसके अंतर्गत, अकादमिक/अनुसंधान, विकास संस्थानों में आधुनिक एचपीसी सुविधाएं एवं अवसंरचना विकसित किए जाने की योजना है।

भारतीय भाषाओं में आईसीटी का इस्तेमाल

- ➲ भारतीय भाषाओं में विषय वस्तु की कमी बड़ी चुनौती है और विषय वस्तु निर्माण में सहायक उपकरणों को भी कमी देखी गई है।
- ➲ इस कमी को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय रोलआउट योजना के अंतर्गत ओपन सोस सॉफ्टवेबर टूल्स का स्थानीयकरण और उन्हें शुल्करहित कम्प्यूटर लैंग्वेज सीडी के जरिए उपलब्ध कराया गया है।
- ➲ इन्हें डाक के जरिए भेजा जाता है और <http://www.ildc.in> पोर्टल से डाउनलोड भी किया जा सकता है।
- ➲ सीडी में सभी अधिकाधिक 22 भारतीय भाषाओं के लिए लिब्र ऑफिस, ओपन टाइप फॉन्ट्स, यूनिकोड टाइपिंग टूल, सकल भारती फॉन्ट, फायरफाक्स, वेब ब्राउजर, ई-मेलिंग क्लाइंट, ग्राफिक्स टूल आदि होते हैं।
- ➲ ई-वेस्ट जागरूकता कार्यक्रम: मंत्रालय ने ईएमडीपी के अंतर्गत जनता के बीच असंगठित क्षेत्र द्वारा ई-वेस्ट निपटान से जुड़े पर्यावरणीय खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है।
- ➲ इसके जरिए जनता को ई-वेस्ट निपटान के वैकल्पिक तरीकों की जानकारी भी दी जाती है।
- ➲ असंगठित क्षेत्र द्वारा ई-कचरा निपटान संबंध में अपनाए जाने वाले तरीकों से जुड़े खतरों से जुड़ी जानकारी ई-वेस्ट वस्तु सूची, छोटे मापकों और फिल्मों के जरिए दी जाती है।

ई-वेस्ट

- | |
|---|
| ▢ जब हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लम्बे समय तक प्रयोग करने के पश्चात उसको बदलने/खराब होने पर दूसरा नया उपकरण प्रयोग में लाते हैं तो इस निष्प्रयोज्य खराब उपकरण को ई-वेस्ट कहा जाता है। |
| ▢ जैसे कम्प्यूटर, मोबाइल फोन, प्रिंटर्स, फोटोकॉपी मशीन, इन्वर्टर, यूपीएस, एलसीडी/टेलीविजन, रेडियो/ट्रांजिस्टर, डिजिटल कैमरा आदि। |
| ▢ विश्व में लगभग 200 से 500 लाख मी. टन ई-वेस्ट जनित होता है। |
| ▢ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2005 में भारत में जनित ई-वेस्ट की कुल मात्रा 1.47 लाख मी. टन थी। जो कि वर्ष 2012 में बढ़कर लगभग 8 लाख मी. टन हो गई है। |
| ▢ जिससे विदित है कि भारत में जनित ई-वेस्ट की मात्रा विगत 6 वर्षों में लगभग 5 गुनी हो गई है तथा इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। |

ई-वेस्ट में पाये जाने वाले विषाक्त पदार्थ एवं मानव पर पड़ने वाले कुप्रभाव

ई-वेस्ट का प्रकार	विषाक्त पदार्थ	मानव पर पड़ने वाला कुप्रभाव
प्रिंटेड सर्किट बोर्ड	लेड, कैडमियम	वृक्क, यकृत, तंत्रिका तंत्र, सिर दर्द।
मदर बोर्ड	बेरिलियम	फुफ्फुस, त्वचा व दीर्घकालिका रोग।
कैथोड र्यूब	लेड ऑक्साइड, बेरियम, कैडमियम	हृदय, यकृत, मांसपेशियाँ, उदरशोथ।
स्विच, फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर	मरकरी	मस्तिष्क, वृक्क, आदि का अविकसित होना।
कम्प्यूटर बैटरी	कैडमियम	वृक्क, यकृत को प्रभावित करता है।
केबिल इन्सुलेशन कोटिंग	पॉली विनायल क्लोरोइड	शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता है।
प्लास्टिक हाउसिंग	ब्रोमीन	हामोनल तंत्र को प्रभावित करता है।

- ➲ इस दौरान पर्यावरणीय दृष्टि से कचरा निपटान से जुड़ी बेहतर उपलब्ध प्रणाली की जानकारी भी दी जाती है। आमजन को 'स्वच्छ डिजिटल भारत' योजना का हिस्सा बन कर ई-वेस्ट

को अधिकृत कचरा निपटानकर्ताओं को सौंपने के लिए भी प्रेरित किया जाता है।

साइबर सुरक्षा

- ⦿ देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लाखों लोग साइबर स्पेस में उपलब्ध सेवाओं और सूचनाओं पर निर्भर करते हैं।
- ⦿ सरकार, व्यवसाय और राष्ट्रीय अवसरंचना अधिकाधिक तौर पर साइबर स्पेस पर निर्भर हो रही है।
- ⦿ इलेक्ट्रॉनिक सूचना की गुणवत्ता और संख्या वृद्धि के साथ ही जहां बिजनेस मॉडलों में भी सुधार हुआ है, वहाँ आपराधिक एवं विरोधी पक्षों ने भी अपनी गतिविधियों को छुपकर अंजाम देने के लिए साइबर स्पेस को एक लाभकारी तरीके के तौर पर अपनाया है। अतः राष्ट्रीय कार्यसूची में साइबर स्पेस की सुरक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है।
- ⦿ इसके महत्व को समझते हुए 2013 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति लाई गई।
- ⦿ इसका उद्देश्य साइबर स्पेस में सूचना तथा सूचना अवसरंचना को संरक्षित कर के, साइबर खतरों को रोकने के लिए क्षमता सृजन और संस्थागत अवसरंचनाओं, जनता, प्रक्रियाओं, प्रौद्योगिकी तथा सहयोग के माध्यम से अन्य साइबर घटनाओं से हुई क्षति को कम करके नागरिकों, व्यवसाय तथा सरकार के लिए सुरक्षित और लचीला साइबर स्पेस बनाना है।
- ⦿ नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीसीसी) : की स्थापना साइबर हमलों के लिए तैयारी और पूर्वानुमान लगाने के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से की जा रही है।
- ⦿ एनसीसीसी देशभर में सभी स्रोतों से साइबर हमलों से जुड़ी सूचना एकत्र कर के उनका आकलन और उनके प्रति जागरूकता फैलाने का काम करेगा, जिसकी मदद से सही समय पर संकट सूचना और नियतकालीन रिपोर्ट प्राप्त हो सकें।
- ⦿ इस शुरुआत से लोगों की विशेषज्ञता के इस्तेमाल, प्रमाणिक मानदंडों के उपयोग और स्रोतों की सहभागिता से देश में साइबर स्पेस को मजबूती और साइबर सुरक्षा की दशा सुधारने में सहायता मिलेगी।
- ⦿ साइबर स्वच्छता केंद्र: इंडियन कंप्यूटर एमर्जेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) ने साइबर स्वच्छता केंद्र (बॉटनेट क्लीनिंग और मालवेयर एनालिसिस सेंटर) का आरंभ किया है।
- ⦿ यह केंद्र बैंकों और आम इस्तेमाल कर्ताओं के पक्ष में खतरनाक कंप्यूटर कार्यक्रमों का पता लगाने और उसके लिए फ्री टूल्स मुहैया कराता है।

प्रमाणन प्राधिकार नियंत्रक

- ⦿ डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) प्रमाणन प्राधिकार नियंत्रक (सीए) द्वारा जारी किए जाते हैं। जिसे अधिनियम प्रमाणन प्राधिकार नियंत्रक (सीसीए) द्वारा अधिकार प्राप्त होता है।
- ⦿ सीसीए विभाग लाइसेंसशुदा प्रमाणन प्रधिकरों (सीए) को ई-साइन सेवा का अधिकार देता है जिसके लिए कानूनी ढांचा और दिशानिर्देश पहले से ही मौजूद हैं। अभी तक आठ में से तीन लाइसेंसशुदा सीए को ही ई-साइन सेवा का अधिकार दिया गया है।

साइबर अपीली अधिकरण

- ⦿ आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 48(1) के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार 2006 में साइबर नियामक अपीली अधिकरण (सीएटी) की स्थापना की गई।
- ⦿ आईटी अधिनियम के अनुसार प्रमाणन प्राधिकार नियंत्रक या कानून के तहत किसी न्यायिक अधिकारी के आदेश से यदि कोई व्यक्ति आहत है तो वह साइबर अपीली अधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के लिए सेंटर फॉर मेटीरियल्स

- ⦿ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के लिए सेंटर फॉर मेटीरियल्स (सी-मेट) की स्थापना मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पदार्थों के क्षेत्र में व्यावहारिक प्रौद्योगिकी के विकास के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग (अब इलेक्ट्रॉनिक्स आर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) के अंतर्गत 1990 में की गई थी।
- ⦿ सी-मेट अपनी पुणे, हैदराबाद और श्रीसूर स्थित प्रयोगशालाओं के माध्यम से कार्य कर रहा है।

एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क

- ⦿ एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क (ईआरएनईटी) भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्वायत्त वैज्ञानिक सोसायटी है।
- ⦿ इसने देश में नेटवर्किंग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- ⦿ ईआरएनईटी कनेक्टिविटी प्रदान करने के अतिरिक्त आईटी परामर्श, परियोजना प्रबंधन तथा प्रशिक्षण के जरिए अकादमिक और अनुसंधान संस्थानों की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है।

नेशनल ई-गवर्नेंस डिविजन

- ⦿ देश में ई-गवर्नेंस की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए निजी और सरकारी क्षेत्रों के विशेषज्ञों को मिलाकर ई-गवर्नेंस डिविजन की स्थापना की गई।

- एनईजीडी प्रोग्राम प्रबंधन तथा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विभिन्न पक्षों को पूरा करने में तकनीकी तौर पर प्रमुख भूमिका निभा रहा है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र

- वर्ष 1976 में स्थापित एनआईसी निचले स्तर तक ई-गवर्नमेंट/ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन बनाने वाले वृहद संगठन और सतत विकास के लिए डिजिटल अवसर प्रोत्साहक के रूप में उभरा है।
 - एनआईसी ने अपने आईसीटी नेटवर्क 'एनआईसीएनईटी' के माध्यम से सभी मंत्रालयों/केंद्र सरकार के विभागों, 36 राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों और लगभग 650 से अधिक भारत के जिला प्रशासन के साथ संस्थापक संपर्क स्थापित कर दिया है।
- मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय**
- मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) निदेशालय भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय है जो देशभर में प्रयोगशालाओं एवं केंद्रों के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र में गुणवत्ता प्रमाणन सेवाएं प्रदान करता है।
 - इनके अंतर्गत सरकारी व निजी संस्थाओं को परीक्षण, कैलिवरेशन, प्रशिक्षण तथा प्रमाणन सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज

- एनआईएमआई कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत) के तहत स्थापित गैरलाभकारी संगठन है जो इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को आपस में जोड़ता है और देश के अंदर घरेलू ट्रैफिक का मार्ग तय करता है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वित्त पोषण से एनआईएक्ससेवा निम्नलिखित गतिविधियां चला रहा है-

 - इंटरनेट एक्सचेंज,
 - आईएन रजिस्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय डोमेन नेम (आईडीएन)
 - नेशनल इंटरनेट रजिस्ट्री (एनआईआर)।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान

- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएलआईटी) इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वैज्ञानिक सोसायटी है।
- यह आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर, साइबर कानून, साइबर सुरक्षा, आईपीआर, जीआईएस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ईएसडीएम, ई-कचरा, आईओटी, ई-गवर्नेंस तथा संबंधित इकाइयों

के क्षेत्र में क्षमता सृजन और कौशल विकास का कार्य सक्रिय रूप से कर रहा है।

- एनआईएलआईटी औपचारिक और अनेक राज्यों में कर्मचारियों और जनता के लिए आईटी साक्षरता कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए अधिमान्य एजेंसी है।

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स

- सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) की स्थापना 1991 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत सोसायटी के रूप में की गई।
- इसका मुख्य उद्देश्य देश से सॉफ्टवेयर निर्यात को प्रोत्साहित करना है। यह सॉफ्टवेयर निर्यातकों के लिए एकल खिड़की सुविधा केंद्र का काम करता है।
- एसटीपीआई द्वारा सॉफ्टवेयर निर्यातक समुदाय को दी जाने वाली सेवाएं वैधानिक, डाटा कम्युनिकेशन, संरक्षण सुविधाएं, मूल्यवृद्धि और परियोजना प्रबंधन सलाह सेवाएं होती हैं।
- एसटीपीआई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपीआई) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ईएचटीपी) योजना को लागू करने के लिए उत्तरदायी है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा

- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना 1995 में राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) की विस्तृत शाखा के तौर पर केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों और संगठनों को संपूर्ण आईसीटी सॉल्यूशंस कराने के लिए की गई थी।
- इसके द्वारा प्रेषित सेवाओं में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंसल्टिंग तकनीकी सहयोग, डिजाइन और विकास, संचालन और प्रबंधन, गुणवत्ता परख और संपूर्ण आईसीटी सॉल्यूशंस एवं सेवाएं शामिल हैं।

दूरसंचार

- ज्ञान की तेजी से बढ़ती दुनिया में दूरसंचार सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आवश्यक अवसरचना बन गया है। देश के सभी हिस्सों में दूरसंचार सेवाओं की पहुंच नए परिवर्तनकारी और प्रौद्योगिकी संपत्र समाज के विकास को अभिन्न हिस्सा है।

दूरसंचार विभाग

- दूरसंचार विभाग तेज समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय, किफायती तथा उच्च गुणवत्ता संपत्र कनवर्स्ड दूरसंचार सेवाएं, कहीं भी, कहीं भी देने के लिए संकल्पबद्ध है।

- ➲ विभाग पूरे देश में सुरक्षित किफायती दर पर, विश्वसनीय तथा सुरक्षित बॉयस तथा डाटा सेवाएं प्रदान कर जनहित के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है।
- ➲ सरकार ने सेवा प्रदाताओं के बीच खुली प्रतिस्पर्धा, और स्पष्ट एवं सक्रिय नियामक ढांचा सुनिश्चित किया है जिसके आधार पर दूरसंचार सेवाएं उपभोक्ताओं तक कम कीमत पर पहुंच सकी हैं। साथ ही, सरकार ने टेलिकॉम उपकरण निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भी अनुकूल प्रयास किए हैं।
- ➲ भारत की मोबाइल अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और मोजूदा दौर में समूचे टेलिफोन उपभोक्ताओं का 98% इससे संबद्ध है।
- ➲ 2020 तक मोबाइल उद्योग का कुल आर्थिक ढांचा 14 खरब (217.37 बिलियन डॉलर्स) रूपये तक पहुंचने की उम्मीद है।

टेली घनत्व

- ➲ टेली घनत्व से तात्पर्य प्रति 100 व्यक्तियों के बीच टेलिफोन की संख्या से होता है। यह देश में टेलिफोन की पहुंच के महत्वपूर्ण सूचक के तौर पर होता है।
- ➲ नवंबर 2017 के अंत तक भारत में टेली घनत्व 91.64% था। ग्रामीण क्षेत्रों में टेली घनत्व 56.58% और शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 167.50% रहा।
- ➲ सेवा क्षेत्रों में टेली घनत्व आंकड़े हिमाचल प्रदेश (153.96%), तमिलनाडु (124.38%) पंजाब (123.62%), केरल (118.58%) और गुजरात (110.00%) रहे।
- ➲ यह आंकड़े बिहार (60.13%), असम (68.41%), मध्य प्रदेश (69.47%), उत्तर प्रदेश (69.66%), पश्चिम बंगाल (72.90%) और ओडिशा (79.58%) अपेक्षाकृत कम रहे।
- ➲ महानगरों में दिल्ली में टेली घनत्व सबसे अधिक 259.14% रहा। उसके बाद कोलकाता (184.56%) और मुंबई (169.97%) रहा।

इंटरनेट और ब्रॉडबैंड पहुंच

- ➲ मार्च 2017 के अंत तक देश में इंटरनेट उपभोक्ताओं (ब्रॉडबैंड और नैरोबैंड को मिलाकर) की संख्या 422.18 मिलियन रही जो कि सितंबर 2017 तक बढ़कर 429.23 मिलियन तक जा पहुंची थी।
- ➲ सितंबर 2017 के अंत तक वायरलेस फोन आदि के माध्यम से इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 407.88 मिलियन थी।
- ➲ इसी अरसे के दौरान वायरलाइन इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 21.35 मिलियन थी। वहाँ नवंबर 2017 के अंत तक ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या 350.70 मिलियन थी।
- ➲ मार्च से सितंबर 2017 तक इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में हुई कुल वृद्धि 7.05 मिलियन थी।

अनुसंधान एवं विकास

- ➲ स्वायत्त निकाय सी डॉट दूरसंचार विभाग का अंग है। यह संगठन लागत प्रभावी, स्वदेश में विकसित अत्याधुनिक दूरसंचार समाधान प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है।
- ➲ सी-डॉट उपग्रह संचार, आईएन, एटीएम, डीडब्ल्यूडीएम, एनएमएस, वायरलेस ब्रॉडबैंड, जीपीओएन, एनजीएन तथा मोबाइल सेल्युलर प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में दूरसंचार प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास केंद्र बन गया है।
- ➲ डीओटी के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के निम्न संस्थानों के प्रशासनिक अधिकार आते हैं:
 1. भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल);
 2. महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल);
 3. आईटीआई लिमिटेड;
 4. टेलिकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल);
 5. भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल);
 6. हेमिस्फियर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड (एचपीआईएल)।

भारत संचार निगम लिमिटेड

- ➲ भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की स्थापना अक्टूबर 2000 में हुई थी और यह पूरी तरह भारत सरकार के अधीन आती है।
- ➲ यह देशभर में, दिल्ली और मुंबई के अतिरिक्त दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराती है।
- ➲ बीएसएनएल लैंडलाइन, डब्ल्यूएलएल और जीएसएम मोबाइल, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट, लीज्ड सर्किट्स और लंबी दूरी की टेलिकॉम सेवाओं जैसी सभी दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराती है।
- ➲ ग्रामीण टेलिफोनी पर इसका विशेष फोकस है। इसके अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्रों, जनजातीय इलाकों तथा वामपंथी उग्रवाद झेल रहे क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के विकास पर इसका विशेष फोकस है।

महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड

- ➲ 1986 में स्थापित एमटीएनएल नवरत्न सार्वजनिक प्रतिष्ठान है और यह देश के प्रमुख महानगरों, दिल्ली व मुंबई में सेवा प्रदान करती है।
- ➲ एमटीएनएल अपने ब्रॉडबैंड नेटवर्क पर वायरलेस, हाई स्पीड इंटरनेट तथा आईपीटीवी की ट्रिपल पे सेवा प्रदान करती है।

इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्रीज

- ➲ इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्रीज (आईटीआई) लिमिटेड की स्थापना

1948 में तब के दूरसंचार सेवा प्रदाता दूरसंचार विभाग को उपकरणों की सप्लाई करने के लिए की गई थी।

- ⦿ आईटीआई ने अपना संचालन 1948 में बंगलुरु में शुरू किया। बाद में इसका विस्तार हुआ और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, उत्तर प्रदेश के नैनी, रायबरेली और मनकापुर तथा केरल में पलककड़ में इसकी उत्पादन इकाइयां स्थापित हुई।
- ⦿ सभी उत्पादन इकाइयां आईएसओ 9001-2000 मानक प्राप्त हैं।
- ⦿ विभिन्न स्थानों पर इन इकाइयों की स्थापना का उद्देश्य न केवल निर्माण क्षमता को सुदृढ़ बनाना है बल्कि सामाजिक अवसंरचना का विकास करना भी है।

टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड

- ⦿ टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) की स्थापना 1978 में की गई थी।
- ⦿ इसका प्रमुख उद्देश्य दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी प्रदान करना है ताकि उचित विपणन नीति तैयार कर, निरंतर आधुनिक टेक्नोलॉजी प्राप्त करके और अपनी अग्रणी भूमिका को बनाए रखते हुए विदेशी तथा घरेलू बाजारों में परिचालन की श्रेष्ठता बनाई रखी जा सके।
- ⦿ इसने साइबर पार्कों, इंटेलिजेंट बिल्डिंग, साइबर और स्मार्ट सिटी तथा ब्रॉडबैंड मल्टीमीडिया कंजरवेट सेवा पर फोकस कर के आईटी और आईटी सक्षम सेवाओं में प्रवेश कर अपनी विविधता कायम की है।
- ⦿ टीसीआईएल बाहरी देशों में भी दूरसंचार और आईटी अवसंरचना विकसित कर रही है।

भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड

- ⦿ भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) नामक स्पेशल पर्ज वेहिकल (एसपीवी) को भारतीय कंपनी कानून 1956 के अंतर्गत 2012 को शामिल किया गया ताकि लगभग 2.50 लाख ग्राम पंचायतों (जीपीज़) में भारतनेट योजना लागू की जा सके।

नेशनल डाटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी कार्यक्रम

- ⦿ इस नीति का उद्देश्य विभिन्न संबंधित नीतियों के अंतर्गत, एक नेटवर्क से पठनीय और मर्शीन सक्षम पठनीय रूप में सरकार का साझा करने लायक डाटा एक्सेस करना है।
- ⦿ इस संबंध में, पब्लिक डाटा एवं सूचना तक वृहद पहुंच के लिए भारत सरकार की विभिन्न धाराएं एवं नियम अनुमति प्रदान करते हैं।

ई-ऑफिस के मुख्य उद्देश्य हैं:

- सरकारी प्रतिक्रिया में सक्षमता, निरंतरता और प्रभाव बहाना,
- परिवर्तन समय में कमी लाना तथा नागरिक चार्टर की मांग का पूर्ति करना,
- प्रशासन गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कारगर संसाधन प्रबंधन उपलब्ध कराना,
- प्रोसेसिंग विलंब में कमी लाना,
- पारदर्शिता और दायित्व स्थापित करना और
- सिस्टम से सरकारी कार्यालयों में फाइलों की आवाजाही स्वचालित होना आदि।



परीक्षा उपयोगी प्रश्न

- निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही हैं-
 - भुगतान बैंक ऋण प्रदान करने व जमा स्वीकार करने जैसे सामान्य बैंकिंग जरूरत की सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं।
 - भुगतान बैंक जमा धन को सिर्फ सरकारी प्रतिभूतियों और बैंकों में जमा कर सकेंगे।
 - भारतीय डाक को भी पेमेंट बैंक का लाइसेंस प्राप्त है।
- उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं-
 - (a) 1 व 2
 - (b) 2 व 3
 - (c) 1 व 3
 - (d) 1, 2 व 3
- दूरसंचार क्षेत्र में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा है-
 - (a) 49%
 - (b) 74%
 - (c) 95%
 - (d) 100%
- भारतनेट परियोजना है-
 - देश के सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल

- फाइबर नेटवर्क से जोड़ने की योजना
- वामपंथी उग्रवाद व आदिवासी बहुल क्षेत्रों में दूरसंचार की उपलब्धता सुनिश्चित कराना
- उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं-
 - (a) केवल 1
 - (b) केवल 2
 - (c) 1 व 2 दोनों
 - (d) न तो 1 न ही 2
- निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
 - CERT-in संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचा. लित संगठन है जो सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 के तहत गठित किया गया है।
 - इसका मुख्य कार्य साइबर सुरक्षा घटनाओं पर सूचना संग्रहण, विश्लेषण व उनसे निपटने में उचित कदम उठाना है।
- उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं-
 - (a) केवल 1
 - (b) केवल 2
 - (c) 1 व 2 दोनों
 - (d) न तो 1 न ही 2

Answer Key:-

1. (b)

2. (d)

3.(a)

4.(c)